बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
आदेश

संख्या–4/क्षे०स्था० मुक० (रा०कर्म०)–05–34/2026– 334 (4)/रा०, पटना–15,दिनांक– 28-07-2026

सी0ड्ब्लू0जे0सी0 सं0–10922/2026 मनोज पंडित एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–24.07.2026 को पारित आदेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"Upon hearing the parties, this Court is of view that demanding counter-affidavit shall make unnecessary delay in this matter as it transpires that the said transfer letters which have been challenged here vide Annexure-P/5 require immediate interference as it has been passed in the teeth of Annexure-P/3 as well as Annexure- P/9, P/10 & P/11 of the supplementary affidavit. It is due to this reason, this Court hereby directs the Additional Chief Secretary-cum-Cadre Controlling Authority, Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar (Respondent No.2) to take decision on the representation of the petitioners within 90 days from the date of production of the order.

8. It is made clear that till decision on the representation of the petitioners, the Memo No.298(4) dated 14.07.2026 issued by the Respondent No.3 (Annexure-5) shall remain stayed.

9. With the aforesaid directions and observations, the present writ application stands disposed off. "

वादी/वादीगणों द्वारा विभागीय आदेश संख्या–298(4), दिनांक–14.07.2026 द्वारा निर्गत राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध आपत्ति की गयी है, जो निम्नवत् है :–

प्रथम अभ्यावेदन में वादी मनोज कुमार पंडित द्वारा कहा गया है कि मैं 70 प्रतिशत दिव्यांग हूँ तथा मुझे गृह जिला से दूर अररिया जिला में स्थानांतरण कर दिया गया है। इनके द्वारा मानवीय आधार पर स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय अभ्यावेदन में कुल–20 वादीगणों द्वारा कहा गया है कि राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु विभागीय पोर्टल को Live किया गया था, परन्तु स्थानांतरण आदेश में कर्मचारियों का स्थानांतरण गृह जिला से काफी दूर कर दिया गया है। ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन देने वाले राजस्व कर्मचारियों को विकल्प के तीन जिलों से अलग दूरस्थ स्थानांतरण कर दिया गया है। इन लोगों द्वारा उक्त स्थानांतरण को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

वादी/वादीगणों के उपरोक्त आवेदनों के सम्यक् समीक्षोपरान्त निर्णय निम्नवत् है–

1. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियामवली, 2025 की कंडिका–03 के तहत राजस्व कर्मचारियों को राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका–13 में राज्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन विभिन्न जिला/अंचल/हल्का में किये जाने का प्रावधान है।

2. विभागीय पत्रांक–162(4), दिनांक–13.05.2026 द्वारा राजस्व कर्मचारियों को राज्य अन्तर्गत स्थानांतरण के निमित्त पोर्टल के माध्यम से विकल्प चुनने का अवसर दिया गया।

प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय आदेश संख्या–298(4), दिनांक–14.07.2026 एवं विभागीय शुद्धि पत्र आदेश संख्या–326(4), दिनांक–23.07.2026 द्वारा कुल–3268 राजस्व कर्मचारियों का Randomly स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है, जिसमें से कुल–2533 राजस्व कर्मचारियों को ऐच्छिक स्थानांतरण/पदस्थापन प्राप्त हुआ है। साथ ही प्रश्नगत वाद के कुल–38 वादियों में से भी 06 वादियों को उनके गृह जिला के निकटतम जिला में पदस्थापन किया गया है।

3. दिव्यांग राजस्व कर्मचारियों के ऐच्छिक पदस्थापन का प्रावधान बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियामवली, 2025 में नहीं है। परन्तु मानवीय आधार पर विभागीय शुद्धि पत्र आदेश संख्या–326(4), दिनांक–23.07.2026 द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में कुल–27 दिव्यांग राजस्व कर्मचारियों की पदस्थापन उनके गृह जिला के आस–पास किया गया है।

4. इस मामले में वादियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में अनेक वादियों का स्थानांतरण पूर्व में ही उनके गृह जिला के आस–पास के जिले में किया जा चुका है। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि कुल कार्यरत राजस्व कर्मचारियों में से मगध एवं पटना प्रमण्डल के कर्मियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण एवं प्रत्येक जिला के राजस्व के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी राजस्व कर्मचारियों का ऐच्छिक पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक जिलों में राजस्व कर्मचारियों की संख्या निर्धारित है, ऐसे में सभी कर्मी का ऐच्छिक पदस्थापन किये जाने पर राजस्व कर्मचारियों की संख्या किसी जिला में बहुत कम, किसी जिला में बहुत अधिक हो जाएगी, जिसके कारण हल्कों का कार्य प्रभावित होगा।

5. राजस्व कर्मचारियों के कुल–8054 रिक्त पदों के विरूद्ध प्रेषित अधियाचना के आलोक में नियमित नियुक्ति के पश्चात् सभी राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन आस–पास जिलों में किया जाना संभव हो सकता है।

6. जनगणना, 2027 संबंधी राष्ट्रीय महत्व के समयबद्ध कार्य को दृष्टिगत रखते हुए स्थानांतरित राजस्व कर्मचारियों को उनके जिलें की प्रशिक्षण समाप्ति की निर्धारित तिथि के उपरान्त विरमित किये जाने का निदेश विभागीय पत्रांक–216/रा०, दिनांक–16.07.2026 द्वारा सभी समाहर्त्ता, बिहार को दिया गया है।

7. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियामवली, 2025 के तहत राज्यस्तरीय संवर्ग हो जाने के कारण राज्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन/स्थानांतरण राज्यान्तर्गत किसी भी जिला/अंचल/हल्का में किया जा सकता है। उक्त नियमावली में ऐच्छिक पदस्थापन किये जाने का प्रावधान नहीं है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुल–2533 राजस्व कर्मचारियों का ऐच्छिक स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया हैं। साथ ही उक्त पदस्थापन में महिला, पति–पत्नी दोनों के सरकारी सेवक, असाध्य रोग(गंभीर बीमारी), दिव्यांग एवं 01 वर्ष से कम सेवानिवृत वाले राजस्व कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गयी है।

अतः उपरोक्त कंडिका–4 के आलोक में वादी/वादीगणों का अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

(जय सिंह) 28/7/26
सचिव

ज्ञापांक–4/क्षे०स्था० मुक० (रा०कर्म०)–05–34/2026–334(4)/रा०, पटना–15, दिनांक–28-07-2026

प्रतिलिपि :–सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 28/7/26
सचिव।

ज्ञापांक–4/क्षे०स्था० मुक० (रा०कर्म०)–05–34/2026–334(4)/रा०, पटना–15, दिनांक–28-07-2026

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी संबंधित को आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 28/7/26
सचिव।